



प्रेषक,

जय प्रकाश,

अनुसचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

आयुक्त,

बरेली मण्डल,

बरेली।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 21 सितम्बर, 2017

विषय: दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन (आई०टी०आर०) कंपनी, बरेली की बन्द मिलों की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था, लेखे तैयार किये जाने एवं विधिक व्यय (होल्डिंग ऑन ऑपरेशन) तथा स्केलटन स्टाफ के वेतनादि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के अवशेष 07 माहों के व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि (ऋण) का आबंटन/ वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 08/ 2017/ बी-1-1190/ दस-2017-231/ 2017, दिनांक 03.08.2017 में जारी निर्देशों के अनुसरण में दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन (आई०टी०आ०) कंपनी, बरेली की अवशेष सम्पत्तियों की बिक्री होने तक स्केलटन स्टाफ के मानदेय, बैलेंस शीट बनवाये जाने, मुकदमों की पैरवी व अधिवक्ताओं की फीस तथा अन्य प्रकीर्ण मदों में व्यय हेतु अवशेष 07 माहों के लिए ₹0 5,25,000.00 (रुपया पाँच लाख पच्चीस हजार मात्र) का ऋण वित्तीय वर्ष 2017-18 में दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों पर प्रदान करते हैं:-

1. उक्त स्वीकृत ऋण धनराशि ₹0 5,25,000.00 (रुपया पाँच लाख पच्चीस हजार मात्र) वास्तविक आवश्यकतानुसार आहरित कर आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली पी०एल०ए० में रखी जायेगी। जहाँ से समय समय पर आवश्यकतानुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त व्यय की जायेगी।
2. उक्त ऋण पर अनन्तिम रूप से ब्याज दर 15 प्रतिशत (11.50+3.50) प्रतिवर्ष लिया जाएगा, किन्तु नियमित प्रतिदान एवं ब्याज का भुगतान करने पर ब्याज की दर में 3.50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, अर्थात् इस दशा में ब्याज की प्रभावी दर 11.50 प्रतिशत (अनन्तिम) होगी। बशर्ते कोई वित्त न हो। उपरोक्त ऋण का प्रतिदान 5 (पांच) समान वार्षिक किश्तों में ब्याज सहित किया जायेगा। ऋण प्रतिदान की प्रथम किश्त प्राप्त करने की तिथि की पहली वर्षगांठ पर देय होगी और अगली वार्षिक किश्तें भी उसी तिथि को देय होगी। ऋण ब्याज के समय से प्रतिदान/ भुगतान करने में वित्त होने पर निर्धारित 15 (पन्द्रह) प्रतिशत की दर पर ही ब्याज देना होगा अर्थात् उस दशा में कोई छूट नहीं दी जायेगी।

3. प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 08/ 2017/ बी-1-1190/ दस-2017-231/ 2017, दिनांक 03.08.2017 में जारी निर्देशों का पूर्णतया कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही सीमित रखा जायेगा। वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/ वरिष्ठ लेखाधिकारी/ लेखाधिकारी (जैसी भी स्थिति हो) सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो संबंधित अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाए।
4. कंपनी द्वारा प्राप्त धनराशि का सदुपयोग करने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन एवं महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद को प्रस्तुत करना होगा।
5. स्वीकृत धनराशि को दिनांक 31.03.2018 तक कोषागार से आहरित कर लिया जाए जिन बाउचर्स व दिनांक पर धनराशि निकाली जाए उसकी सूचना तुरन्त शासन तथा महालेखाकार उ०प्र० इलाहाबाद को भेजी जाए।
6. उक्त ऋण का लेखा आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली के लेखा कोषक द्वारा रखा जायेगा और वे उसके ब्याज सहित समय से प्रतिदान की मानीटरिंग भी करेंगे।
7. दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन (आई०टी०आर०), कंपनी बरेली द्वारा ऋण आहरण की सूचना उपमहालेखाकार, राजकोष, कार्यालय महालेखाकार (प्रथम) उ०प्र०, इलाहाबाद को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि व लेखाशीर्षक सूचित करते हुए निम्न विवरण के साथ भेजें:-
 - (क)- कोषागार का नाम।
 - (ख)- चालान संख्या व दिनांक।
 - (ग)- जमा धनराशि, किश्त एवं ब्याज।
 - (घ)- लेखाशीर्षक, जिसके अन्तर्गत जमा किया गया।
 - (च)- शासनादेश संख्या तथा एस.एल.आर. का सन्दर्भ।
 - (छ)- पिछले जमा का सन्दर्भ।
8. ऋणी संस्था आहरण की प्रत्येक वर्षगांठ पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय से अवश्य करें।
9. ऋण की एकमुश्त वापसी कम्पनी की परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त धनराशि से की जायेगी।
10. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 08/ 2017/ बी-1-1190/ दस-2017-231/ 2017, दिनांक 03.08.2017 के प्रस्तर-11 में उल्लिखित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक- "6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज-पूँजी लेखा-01-वस्त्र उद्योग-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में कर्ज-07-आई०टी०आर० कंपनी बरेली के विविध प्रकीर्ण व्यय हेतु ऋण-30-निवेश/ ऋण" के नामे डाला जायेगा।
- 3- उक्त धनराशि का पुनर्विनियोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 08/ 2017/ बी-1-1190/ दस-2017-231/ 2017, दिनांक 03.08.2017 के अन्तर्गत वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जय प्रकाश)

अनुसचिव।

संख्या- 12/ 2017/ 1428/ 77-1-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार (प्रथम) उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- प्रभारी, दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन (आई०टी०आर०) कंपनी, बरेली।
- 3- कोषाधिकारी, बरेली ।
- 4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 08/ 2017/ बी-1-1190/ दस-2017-231/ 2017, दिनांक 03.08.2017 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सेन्ट्रल सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें तथा यूजर नेम व पासवर्ड आबंटित कर शासन तथा आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली/ प्रभारी, दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन (आई०टी०आर०) कंपनी, बरेली को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि आवंटित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6, उ०प्र० शासन।
- 6- नियोजन अनुभाग-4, उ०प्र० शासन।
- 7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/ 4, उ०प्र० शासन।
- 8- औद्योगिक विकास अनुभाग-2
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश)

अनुसचिव।